


भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली  
हौज खास, नई दिल्ली - 110016  
(समन्वय अनुभाग)

सं:-आई.आई.टी.डी./आई.सी.डी.एन./2020/274781  
दिनांक:- 23 .11.2020

विषय:- "संविधान दिवस" का उत्सव 26 नवंबर, 2020 को.

शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या. एच.11011/02/2016-सीडीएन(पीटी) दिनांक 18.11.2020 ने सलाह दी है कि 26 नवंबर, 2020 को "संविधान दिवस" के रूप में मनाया जाएगा।

तदनुसार, सभी संकायों, कर्मचारियों और छात्रों से अनुरोध है कि वे 26 नवंबर, 2020 को ऑनलाइन प्रतिज्ञा समारोह की व्यवस्था करें और इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

  
(मुकेश चंद)

सहायक कुलसचिव (समन्वय)

संलग्न :- "प्रस्तावना" पठन

निदेशक / उप निदेशक / संकायाध्यक्ष / एसोसिएट संकायाध्यक्ष / कुलसचिव /  
संस्थान अभियंता  
जनसंपर्क अधिकारी  
सभी संकाय / कर्मचारी / छात्र  
नोटिस बोर्ड  
मास्टर फ़ाइल

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI  
HAUZ KHAS, NEW DELHI - 110016

(COORDINATION SECTION)

No. IITD/ICDN/2020/274781

Dated:- 23.11.2020

**Subject:- Celebration of "Constitution Day" on 26<sup>th</sup> November, 2020 - reg.**

Ministry of Education vide letter No.H.11011/02/2016-CDN(Pt.) dated 18.11.2020 has advised that 26<sup>th</sup> November, 2020 will be celebrated as the "Constitution Day".

Accordingly, all Faculty, staff & students are requested to arrange online pledge ceremony on 26<sup>th</sup> November, 2020 and send a compliance report in this regard.



(Mukesh Chand)

Assistant Registrar (CDN)

Encl:- " Preamble" reading

Director / Deputy Directors / Deans / Associate Deans / Registrar /  
Institute Engineer  
Public Relation Officer  
All Faculty / Staff / Students  
Notice Boards  
Master File

# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक <sup>1</sup>[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,  
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और <sup>2</sup>[राष्ट्र की एकता  
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख  
26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो  
हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,  
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

<sup>1</sup> संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

## THE CONSTITUTION OF INDIA

### PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a <sup>1</sup>[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

· JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the <sup>4</sup>[unity and integrity of the Nation;

---

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

<sup>1</sup> Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 2, for "SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC" (w.e.f. 3-1-1977).

<sup>4</sup> Subs. by s. 2, ibid., for "unity of the Nation" (w.e.f. 3-1-1977).